

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(6) वित्त/राजस्व/2020

जयपुर, दिनांक- 09.10.2020

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा की वरिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि से वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम, 28 ए के उप नियम (7) के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के चयन सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

कं. सं.	अधिकारी का नाम/सर्व श्री	श्रेणी	रिक्ति की तिथि
1.	श्री कैलाश प्रसाद मीणा	(अजजा)	01.04.2020
2.	श्री सवाई सिंह बारेठ	-	01.04.2020
3.	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	-	01.04.2020
4.	श्री उम्मेद सिंह	-	01.04.2020
5.	श्री सत्यनारायण पांचाल	-	01.04.2020
6.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	-	01.04.2020
7.	श्री तरुण कुमार कोहली	-	01.04.2020
8.	श्री गणेशी लाल जाट	-	01.05.2020
9.	श्री जम्बू कुमार जैन	-	01.06.2020
10.	श्री अरविन्द कुमार पारीक	-	01.07.2020
11.	श्री महेश कुमार गुप्ता	-	01.07.2020
12.	श्री सीताराम अग्रवाल	-	01.07.2020
13.	श्री मनोज कुमार तंवर	-	01.07.2020
14.	श्री हरिराम राड़	-	01.07.2020
15.	श्री धूपेन्द्र कुमार जैन	-	01.08.2020
16.	श्रीमती सुनीता माथुर	-	01.08.2020
17.	श्री चन्द्र प्रकाश राजन	(अजा)	01.08.2020
18.	श्रीमती सीमा शर्मा	-	01.08.2020
19.	श्री राजेन्द्र प्रसाद रैगर	(अजा)	01.09.2020
20.	श्री सुरेश चन्द्र देसाई	(अजा)	01.10.2020
21.	श्री नेमीचन्द मीणा	(अजजा)	01.10.2020
22.	श्री धनसिंह मीणा	(अजजा)	01.11.2020
23.	श्री रामजीलाल		01.12.2020

पदोन्नत अधिकारियों में से सेवारत अधिकारी अपने वर्तमान पदों को यथाआवश्यकता अस्थाई तौर पर क्रमोन्नत/क्रमावनत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे तथा वे उक्त तिथि को कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(नीलेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त/शासन सचिव, वित्त।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/।।) विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव